१५ 2/5

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को आवाज
लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के
बावजूद भी न्यायालय मे हाजिर नही
होने पर वाद अदम हाजरी अदम
पैरवी मे खारिज किया जाता है पत्रावली
तकमील मुकम्मल होकर नम्बरान से खारिज होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ